गौतम बुद्ध के विचार प्रासंगिक : मोदी

प्रधानमंत्री ने 133वें एपिसोड में सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम सहित कई मुद्दों पर बात की

नई दिल्ली, 26 अप्रैल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' के 133वें एपिसोड में देश और दुनिया से जुड़े कई अहम विषयों पर चर्चा की.

उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और समर्पण से देश का अंतरिक्ष कार्यक्रम नई ऊंचाइयों को छू रहा है.उन्होंने इसे राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव बताते हुए कहा कि यह उपलब्धियां भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिला रही हैं. मोदी ने सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम सहित कई मुद्दों पर बात की. पीएम मोदी ने कहा कि मैं उन सभी को बधाई देता हूं, जिन्होंने, भारत के परमाणु कार्यक्रम में अपना अमूल्य योगदान दिया है.पश्चिम एशिया संकट के दौरान कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की उत्पादन और आपूर्ति दोनों प्रभावित हुई है. इसने ऊर्जा के शुद्ध आयातक के रूप में भारत को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकल्प तलाशने के लिए प्रेरित किया है.

श्री मोदी ने कहा कि आज पवन-शक्ति देश के विकास की नयी कहानी लिख रही है. भारत ने हाल ही में पवन-ऊर्जा में बड़ी

उपलब्धि हासिल की है. अब देश की पवन ऊर्जा क्षमता 56 गीगावाट से अधिक हो चुकी है. पिछले एक साल में करीब छह गीगावाट नयी क्षमता जुड़ी है. भारत पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर है.वर्तमान वैश्विक तनाव के बीच भगवान गौतम बुद्ध के विचारों को और अधिक प्रासंगिक बताया और शांति, करुणा व संतुलन का संदेश अपनाने की अपील की. साथ ही गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के ग्रामोन्मुख विकास, पूर्वोत्तर में बांस उद्योग की प्रगति, गणित ओलंपियाड में बेटियों की उपलब्धि और जनगणना 2027 में डिजिटल भागीदारी को लेकर भी देशवासियों को प्रेरित किया.बताया कि दक्षिण अमेरिका के चिली में एक संस्था भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ा रही है, जो लद्दाख में जन्मे ड्रबपोन ओत्जर रिनपोचे के मार्गदर्शन में काम कर रही है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोगों से जनगणना 2027 में डिजिटल भागीदारी कर इसे सफल बनाने की अपील की.श्री मोदी ने कहा कि जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है, सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है.जनगणना के लिए घर-घर जाने वाले कर्मचारी लोगों से बात करते मोबाइल ऐप में सारी जानकारी दर्ज करेंगे.

टीमवर्क का भाव सबसे बड़ी ताकत : योगी

▸ बेटियों ने जिस तरह समर्पण का परिचय दिया, वह सराहनीय

लखनऊ, 26 अप्रैल. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आरक्षी प्रशिक्षण के दौरान बेटियों ने जिस मजबूती, तत्परता, समर्पण व अनुशासन का परिचय दिया है, वह सराहनीय है. अनुशासन व टीमवर्क का उत्कृष्ट भाव सबसे बड़ी ताकत है.

इन सबको समाहित करते हुए देश के लिए सर्वोत्कृष्ट योगदान देने की भावना वर्दीधारी बल का सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है। प्रशिक्षण में जितना पसीना बहेगा, बाद के जीवन में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आती है.योगी रविवार टे, खपड़ैल

व टीनशेड के होते थे, लेकिन अब 55 जनपदों में पुलिस कार्मिकों के बैरक व आवासीय सुविधा के हाईराइज भवन दिखाई देते हैं. प्रशिक्षण केंद्र उत्कृष्ट हो रहे हैं. हर प्रशिक्षु को आधारभूत प्रशिक्षण देने के साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया गया. यूपी पुलिस ट्रेनिंग पोर्टल भी लांच किया गया. शारीरिक प्रशिक्षण को वैज्ञानिक व आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट पीटी प्रोग्राम लागू किया गया.

"अब आप सबको जनपदों की फील्ड ड्यूटी में जाना है. याद रखिए, कानून अपराधी के लिए जितना कठोर हो, नागरिकों के प्रति उतना ही संवेदनशील होना चाहिए. उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी आरक्षी प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान, कौशल व मूल्यों का उपयोग करते हुए निष्ठा, ईमानदारी व कर्तव्य परायणता से यूपी पुलिस की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएंगे. उन्होने कहा कि आज प्रदेश के 10 पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, 73 जनपदों की पुलिस लाइंस, 29 पीएसी बटालियनों, 112 रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटरों में एक साथ आरक्षी दीक्षांत परेड आयोजित की जा रही है.

नहीं रहे प्रख्यात फोटोग्राफर रघु राय

नई दिल्ली 26 अप्रैल. भोपाल गैस त्रासदी की तस्वीरें क्लिक कर दुनिया का का ध्यान आकर्षित करने वाले प्रख्यात फोटोग्राफर एवं फोटो पत्रकार रघु राय का रविवार सुबह यहां एक निजी अस्पताल में निधन हो गया. वह 83 साल के थे. श्री राय के पुत्र एवं फोटोग्राफर नितिन राय ने बताया कि उनके पिताजी को दो साल पहले प्रोस्टेट कैंसर हुआ था, लेकिन बाद में उन्हें राहत मिलने लगी थी. फिर कैंसर पेट तक फैल गया, जो ठीक हो गया था.

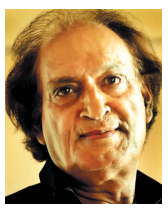

देबदीप के हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार करें

नई दिल्ली, 26 अप्रैल. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है और आरोप लगाया है कि उसके लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ता देबदीप चटर्जी की हत्या की है.

श्री गांधी ने रविवार को देबदीप की हत्या पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की और कहा कि कांग्रेस हिंसा पर भरोसा नहीं करती और अहिंसा के सिद्धांत को कलंकित करने वाली राजनीति के सामने झुकना नहीं जानती है. श्री गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर रविवार को लिखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता देबदीप चटर्जी की तृणमूल से जुड़े गुंडों द्वारा की गयी हत्या बेहद निंदनीय है. शोकाकुल परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. पश्चिम बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं, तृणमूल का गुंडा राज चल रहा है.

आज का इतिहास

1526-बाबर दिल्ली का सुलतान बना.
1606 -शहजादा खुसरो को बादशाह जहांगीर ने गिरफ्तार किया.
1662 - नीदरलैंड ने सैन्य संधि पर हस्ताक्षर किए.
1748- मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का निधन.
1942- अमेरिका के ओकलाहोमा प्रांत में आए तूफान के कारण 100 लोग मारे गए,

पंजाब सरकार ने हरभजन से छीनी सुरक्षा

राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह की सिक्योरिटी के साथ गाड़ी भी वापस ली

चंडीगढ़, 26 अप्रैल. पंजाब की सियासत में इन दिनों जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है. राज्यसभा सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को लेकर उठ रही अटकलों ने माहौल को और भी गरमा दिया है.पंजाब सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा वापस लेने के फैसले ने इन चर्चाओं को और बल दिया है. हरभजन सिंह को पहले जेड कैटेगरी की सुरक्षा

प्राप्त थी, लेकिन अब इसे हटा लिया गया है. इसी तरह का कदम इससे पहले राघव चड्ढा के मामले में भी देखा गया था, जिन्हें बाद में केंद्र सरकार की ओर से सुरक्षा दी गई. ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि हरभजन सिंह को भी जल्द ही केंद्र से सुरक्षा मिल सकती है. इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब राघव चड्ढा ने यह दावा किया कि आम आदमी पार्टी के सात सांसद भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं.

अंतरराज्यीय तस्कर नेटवर्क का पदार्फाश

ग्रेटर नोएडा 26 अप्रैल. उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्धनगर के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर अवैध शराब तस्करी के अंतरराज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. आरोपी के पास से लाखों रुपये की अवैध शराब बरामद की गयी है. गत शनिवार को पुलिस और आबकारी विभाग की टीम को सूचना मिली कि हरियाणा से अवैध शराब की एक बड़ी खेप ट्रक के माध्यम से क्षेत्र में लाई जा रही है.

पवन खेड़ा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली, 26 अप्रैल . कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है. यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा की दर्ज कराई गई एक प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसमें खेड़ा पर उनके खिलाफ कई पासपोर्ट रखने के आरोप लगाने का मामला दर्ज है.

खेड़ा ने रविवार को शीर्ष अदालत में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की.

इससे पहले, गत 10 अप्रैल को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने खेड़ा को एक सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत देते हुए और उन्हें संबंधित अदालत में जाने की अनुमति दी . यह याचिका हैदराबाद में दायर की गई थी, जहां खेड़ा का निवास बताया गया था. इसके बाद, असम पुलिस ने इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी और तब इस जमानत पर रोक लग गयी. गत 17 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय ने खेड़ा की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर उच्चतम न्यायालय की लगी गई रोक को हटाने की मांग की थी.

रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत, खाते अनफ्रीज

मुंबई, 26 अप्रैल. सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग्स मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बड़ी कानूनी राहत मिली है. मुंबई के विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने रिया, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और उनकी मां संध्या चक्रवर्ती के फ्रीज किए गए बैंक खातों को अनफ्रीज करने का आदेश दिया है. यह फैसला उनके लिए लंबे समय से चल रही वित्तीय और कानूनी अड़चनों में महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है. ये बैंक खाते वर्ष 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले की जांच के दौरान फ्रीज किए गए थे. हालांकि कोर्ट ने पाया कि जांच एजेंसी एनसीबी ने खातों को फ्रीज करते समय कानूनी प्रक्रिया का पालन सही तरीके से नहीं किया. इसी आधार पर कोर्ट ने स्पष्ट राहत देते हुए खाते खोलने का आदेश दिया. एनडीपीएस कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि जांच एजेंसी ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया. कानून के अनुसार, किसी भी संपत्ति या बैंक खाते को फ्रीज करने के बाद 30 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी से इसकी पुष्टि लेना अनिवार्य होता है.

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति मनासा, जिला-नीमच (म.प्र.)

क्रमांक/मंडी/नि./26-27/107 मनासा, दिनांक 02-04-2026

निविदा आमंत्रण सूचना

प्रमुख अभियंता म.प्र. लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त (एकीकृत पंजीयन प्रणाली) पंजीकृत निविदाकारों से प्रतिशत दर आधार पर सिस्टम निविदाएं क्रमांक 2026_MPSAM_503031 के अंतर्गत आनलाईन निविदाएं **दिनांक 27-04-2026 समय 10.30 से दिनांक 15.05.2026 को सायं 17:30 बजे** तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल http//www.mptenders.gov.in/nicgep/app पर प्राप्त होगी एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल http//www.mpmandiboard.gov.in पर भी अवलोकनीय होगी। **नोट :- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर ही प्रदर्शित किया जावेगा।**

सचिव
कृषि उपज मंडी, समिति, मनासा
जिला-नीमच(म.प्र.)

भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति, मनासा
जिला-नीमच(म.प्र.)

कब्जा नोटिस (अचल संपति के लिए) नियम 8-(1)

चूँकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से विख्यात) (IIFL-HFL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकताओं को राशि चुकाने के लिए एक माँग नोटिस जारी किया गया था, अतः उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता विशेष रूप से और आम जनता को एतद्द्वारा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन IIFL HFL के प्रभार के अधीन होगा, जैसा कि नीचे उल्लिखित राशि पर ब्याज सहित लगाया जाएगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। यदि उधारकर्ता बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय "IIFL HFL" के बकाया और सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों का भुगतान कर देता है, तो सुरक्षित संपत्तियां नहीं बेची जाएंगी।

उधारकर्ता का नाम /सह-उधारकर्ता	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)	कुल बकाया बकाया राशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
श्री करण सिंह मेहरा श्रीमती कविता बाई (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10209872)	प्लॉट सं. 284 का दक्षिणी भाग, मालव कुंज कॉलोनी, ग्राम सेजवाया, तहसील और जिला धार, म.प्र., 545773 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः भूमि क्षेत्र, विक्रय योग्य क्षेत्र, अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र। संपत्ति का क्षेत्रफलः 500.00, 800.00, 580.00	रू. 1291943/- बारह लाख इनक्यानवे हजार नौ सौ तिरतालीस मात्र	10-02-2026	23-04-2026
श्री शुभम मालवीय श्रीमती रंजना मालवीय (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10452999)	प्लॉट संख्या ए-73, ब्लॉक B, अरिहंत रेजीडेंसी (पीथमपुर सिटी होम्स), ग्राम भाटखेड़ी, तहसील मऊ, जिला इंदौर, 453441, क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः भूमि क्षेत्र, विक्रय योग्य क्षेत्र, संपत्ति का क्षेत्रफलः 394.00, 394.00	रू. 457029/- चार लाख सत्तावन हजार उनतीस मात्र	03-02-2026	23-04-2026

अधिक जानकारी के लिए, कृपया शाखा कार्यालयः 102/103, दर्शन मॉल, 15/2 रेस कोर्स रोड, इंदौर- 452001, मध्य प्रदेश/ या कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नंबर 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुरुग्राम, हरियाणा में अधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।

स्थानः इन्दौर
दिनांकः 27.04.2026

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,
आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए।

Maharashtra University Of Health Sciences, Nashik
Dindori Road, Mhasrul, Nashik-422004
Phone No. 0253-2539236
Email: registrar@muhs.ac.in, civil@muhs.ac.in,
Website: http://www.muhs.ac.in

E-tender Notice No-Civil/03/2026

Maharashtra University of Health Sciences invites e-tenders for providing temporary services of skilled and unskilled manpower by the contractor on contractual basis for Gardening Work in MUHS Campus, Nashik for a period of two years.

The e-tender form, form fee, earnest money, terms and conditions are published on the website http://mahatenders.gov.in The actual work should be inspected before submitting the e-tender.

Date: 27/04/2026 **Registrar**

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
रजि. आफिस : 11वां माला, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गनपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013
शाखा पता : 3रा माला, यूनिट नं. 301, एनआरके टेक पार्क प्लाट नं. 9/सी/सीए, स्कीम नं. 94, रिंग रोड निकट रेडिसन स्क्वायर, इन्दौर, मध्यप्रदेश- 452010

लोन खाता नं. TCHHF0643000100250224

आम जनता और विशेष रूप से श्रीमती मंजू राठौड़ (ऋणी) और श्री राकेश राठौड़ (सह-ऋणी और जमानतदार/या उनके कानूनी वारिस/प्रतिनिधि) को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (TCHHFL) के अधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित अचल संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है, जो TCHHFL के पास गिरवी रखी गई थी. ऋणी और सह-ऋणी को कई नोटिस दिए जाने के बावजूद, उन्होंने परिसर में रखे सामान को वहां से नहीं हटाया है.
अतः इस नोटिस के माध्यम से ऋणी और सह-ऋणी को अचल संपत्ति से अपना सामान हटाने का 7 दिनों का अंतिम अवसर दिया जाता है (इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से). यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो अधिकृत अधिकारी योग्यता के अनुसार सामान का निपटान करेंगे. इसके लिए अधिकृत अधिकारी और TCHHFL जिम्मेदार नहीं होंगे.

संपत्ति का विवरण

अचल संपत्ति का वह पूरा हिस्सा और पार्सल जो कि मकान नंबर 120, गरबा चौक, ग्राम शिवगढ़, तहसील सैलाना, जिला रतलाम 47001 है. उक्त मकान का ग्राउंड फ्लोर आरसीसी से बना है. कुल क्षेत्रफल 445.73 वर्ग फुट (या 41.42 वर्ग मीटर) है.

दिनांक : 27.04.2026
स्थान : रतलाम

हस्ताक्षर/- अधिकृत अधिकारी
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013
सीआईएन संख्याः U67190MH2008PLC187552

कब्जे की सूचना (अचल संपत्तियों के लिए)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पढ़े गए परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकताओं को नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया।
उधारकर्ता द्वारा राशि का भुगतान न करने पर, एतद्द्वारा उधारकर्ता को, विशेष रूप से और आम जनता को, सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, इंदौर द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर, नीचे उल्लिखित सीसी संख्या में तहसीलदार के माध्यम से वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है और उक्त तहसीलदार ने अधोहस्ताक्षरी अधिकृत अधिकारी को भौतिक कब्जा सौंप दिया है।
ऋण लेने वाले को, विशेष रूप से, और आम जनता को, यह चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें। संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा नीचे उल्लिखित राशि के लिए, ब्याज सहित, दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि सहित, मांग नोटिस की तिथि से जब्त किया जाएगा। ऋण लेने वाले का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है।

ऋण खाता संख्या	देनदार का नाम / कानूनी उत्तराधिकारी/ कानूनी प्रतिनिधि	मांग नोटिस के अनुसार राशि	मांग सूचना दिनांक / भौतिक कब्जे की तिथि	आदेश दिनांक / सीसी नं.
TCHHL028400 0100004988 & TCHIN036300 0100152441& TCHIN036300 0100090342 & TCHIN036300 0100253160	बलराम शर्मा (ऋणकर्ता) और श्रीमती कविता शर्मा (सह-ऋणकर्ता)	रू. 11,29,183/- और रू. 2,62,517/- और रू. 1,56,261/- और रू. 3,17,246/-	14-10-2024 / 23.04.2026	14.02.2026 / एमजेसीआर/ 17224/25

गिरवी रखी गई संपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरणः कैप्स टाउन में प्लॉट संख्या 338 के दक्षिणी भाग में स्थित अचल, मकान संपत्ति, जिसका सर्वेक्षण क्रमांक 440, 441, 442, 443, 444, 445, 387/4, 388/2, 392, 393, 394, 397/2, 412 और 413 है, ग्राम पिगदंबर, तहसील महू, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थित है और जिसका क्षेत्रफल 500 वर्ग फुट है। सीमाएँः पूर्वः प्लॉट संख्या 346, पश्चिमः सड़क, उत्तरः प्लॉट संख्या 338 का शेष भाग, दक्षिणः प्लॉट संख्या 339।

दिनांकः- 27.04.2026
स्थानः- इंदौर

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर
ड्रेनेज विभाग

विज्ञप्ति क्रमांकः 05 **निविदा सूचना** दिनांकः 23.04.2026

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

ग्रुप क्र.	1. टेंडर क्र. 2. जारी दिनांक	कार्य का नाम	1. कार्य की समयावधि 2. लागत	1. निविदा प्रपत्र का मूल्य 2. ई.एम.डी.	निविदा की अंतिम तिथि
01	2026_UAD_498939 23-04-2026	झोन क्र. 09 वार्ड क्र. 45 के अंतर्गत एम.आई.जी. सेक्टर बी मदान बुक स्टोर्स के पीछे ड्रेनेज लाईन डालना।	04 माह ₹13,17,790/-	₹2,000/- ₹9,900/-	25-05-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 26-05-2026
02	2026_UAD_498941 23-04-2026	झोन क्र. 04 वार्ड क्र. 12 शीतल नगर सुनील मालिया मकान के पीछे की बेक लाईन एवं शीतल नगर की गली न. 1 से गली न. 04 में ध्वस्त बेक लाईन में ड्रेनेज पाईप डालने का कार्य।	04 माह ₹19,75,808/-	₹2,000/- ₹14,900/-	25-05-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 26-05-2026
03	2026_UAD_498943 23-04-2026	झोन क्र. 04 वार्ड क्र. 13 के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सन्मति हॉस्पिटल तक ड्रेनेज लाईन डालना।	04 माह ₹12,34,228/-	₹2,000/- ₹9,300/-	25-05-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 26-05-2026
04	2026_UAD_498947 23-04-2026	झोन क्र. 04 वार्ड क्र. 13 शुभम पैलेस कॉलोनी के शेष बचे भाग में ड्रेनेज लाईन डालना।	04 माह ₹12,56,602/-	₹2,000/- ₹9,500/-	25-05-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 26-05-2026
05	2026_UAD_498948 23-04-2026	झोन क्र. 04 वार्ड क्र. 13 के अंतर्गत लक्ष्मीपुरी कॉलोनी अन्ना सिंगारे वाली गली एवं समीप क्षेत्रो में ड्रेनेज लाईन डालना।	04 माह ₹13,90,848/-	₹2,000/- ₹10,500/-	25-05-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 26-05-2026
06	2026_UAD_498949 23-04-2026	झोन क्र. 04 वार्ड क्र. 13 मोहित किराना के पीछे लक्ष्मणपुरा में ड्रेनेज लाईन निर्माण कार्य।	06 माह ₹25,60,169/-	₹5,000/- ₹19,300/-	25-05-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 26-05-2026
07	2026_UAD_498950 23-04-2026	झोन क्र. 04 वार्ड क्र. 13 के अंतर्गत वैष्णो विहार कॉलोनी में ड्रेनेज लाईन डालना।	06 माह ₹27,29,586/-	₹5,000/- ₹20,500/-	25-05-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 26-05-2026
08	2026_UAD_498951 23-04-2026	झोन क्र. 16 वार्ड क्र. 01 के अंतर्गत सिरपुर में सम्पूर्ण गणेश नगर में ड्रेनेज लाईन डालना।	04 माह ₹10,73,196/-	₹2,000/- ₹8,100/-	25-05-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 26-05-2026
09	2026_UAD_498952 23-04-2026	झोन क्र. 04 वार्ड क्र. 17 के अंतर्गत राम मंदिर के सामने विजयवर्गीय नगर में नवीन ड्रेनेज लाईन निर्माण कार्य करना।	06 माह ₹20,53,773/-	₹5,000/- ₹15,500/-	25-05-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 26-05-2026
10	2026_UAD_498953 23-04-2026	झोन क्र. 04 वार्ड क्र. 12 के अंतर्गत गंगा बाग कॉलोनी म. नं. 86 से 110, म.नं. 15 से 343, म.नं. 32 से 61 म.नं. 62 से 162 ध्वस्त बेकलाईन में ड्रेनेज पाईप लाईन डालना।	06 माह ₹26,46,852/-	₹5,000/- ₹19,900/-	25-05-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 26-05-2026
11	2026_UAD_498954 23-04-2026	झोन क्र. 04 वार्ड क्र. 17 के अंतर्गत कुशवाह श्री नगर धीरेन्द्र गुप्ता जी के घर के पीछे एवं राय एकेडमी वाली गली के पीछे चंचल यादव जी सामने वाली में ध्वस्त बेक लाईन में ड्रेनेज लाईन डालना।	06 माह ₹28,19,066/-	₹5,000/- ₹21,200/-	25-05-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 26-05-2026
12	2026_UAD_498955 23-04-2026	झोन क्र. 16 वार्ड क्र. 01 के अंतर्गत व्यास नगर झुग्गी बस्ती में गली नं. 01 से 07 तक ड्रेनेज लाईन डालना।	06 माह ₹21,89,271/-	₹5,000/- ₹16,500/-	25-05-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 26-05-2026
13	2026_UAD_498957 23-04-2026	झोन क्र. 20 वार्ड क्र. 05 के अंतर्गत राज नगर बडी प्रजापत धर्मशाला के सामने से राज नगर मेनरोड तक नवीन ड्रेनेज लाईन डालना।	06 माह ₹28,80,138/-	₹5,000/- ₹21,700/-	25-05-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 26-05-2026
14	2026_UAD_498958 23-04-2026	झोन क्र. 20 वार्ड क्र. 06 के अंतर्गत नयापुरा भोलेनाथ मंदिर वाली गली में जर्जर ड्रेनेज लाईन के स्थान पर नवीन ड्रेनेज लाईन डालना।	04 माह ₹13,53,859/-	₹2,000/- ₹10,200/-	25-05-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 26-05-2026
15	2026_UAD_498960 23-04-2026	झोन क्र. 20 वार्ड क्र. 06 के अंतर्गत तिरूपति नगर में पाद्दार जी के घर से बाठिया हॉस्पिटल मेनरोड तक क्षतिग्रस्त ड्रेनेज के स्थान पर नई ड्रेनेज लाईन डालना।	06 माह ₹20,01,819/-	₹5,000/- ₹15,100/-	25-05-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 26-05-2026
16	2026_UAD_498961 23-04-2026	झोन क्र. 20 वार्ड क्र. 06 के अंतर्गत भोलेनाथ कॉलोनी दरगाह वाली गली और आसपास क्षतिग्रस्त ड्रेनेज पाईप बदलने बाबद।	06 माह ₹27,46,707/-	₹5,000/- ₹20,700/-	25-05-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 26-05-2026
17	2026_UAD_498962 23-04-2026	झोन क्र. 20 वार्ड क्र. 06 के अंतर्गत राम नगर एवं इंद्रा नगर की बेक गलियों में और मुख्य रोड पर क्षतिग्रस्त ड्रेनेज पाईप बदलने बाबद।	06 माह ₹28,82,077/-	₹5,000/- ₹21,700/-	25-05-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 26-05-2026
18	2026_UAD_498968 23-04-2026	झोन क्र. 04 वार्ड क्र. 17 के अंतर्गत विद्या बारिधी स्कूल के पीछे की ध्वस्त लाईन में ड्रेनेज लाईन डालना।	03 माह ₹4,80,853/-	₹2,000/- ₹4,900/-	07-05-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 08-05-2026
19	2026_UAD_498970 23-04-2026	झोन क्र. 04 वार्ड क्र. 17 के अंतर्गत दशरथ बाग गली नं. 06 बेक लाईन में ड्रेनेज लाईन डालना।	03 माह 7,63,333/-	₹2,000/- ₹7,700/-	07-05-2026 (शाम 06:00 बजे तक) 08-05-2026

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाईट पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

प्रतिबंधित पॉलिथीन, कैरीबैग के निर्माण/ विक्रय/ उपयोग करने पर दंड व सजा का प्रावधान है।

कार्यपालन यंत्री
ड्रेनेज विभाग
नगर पालिक निगम, इन्दौर

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड
कार्पोरेट कार्यालयः युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069.
खण्डवा शाखाः प्